135/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/1

अपील सूचना अधिकार संख्या 125/2015 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी, 13 मुकर्जीनगर श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2015 के द्वारा नोडल ऑफिसर चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सेक्ट्रेट, जयपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Enclosed are the copies of complaints made by me on your online portal sampark Rajasthan with ID No. 0615030472871/1 & 06130469915/1 against the corruption in DSO Office Sriganganagar. Till date haven't received any information on my complaints.

(1) Current status pf my complaints.
(2) Movement of my complaint in various department right from the first day of receiving till today.
(3) Please provide certified copies of all file noting of my complaints.
(4) Action taken on my complaints and action taken on concerned officials and persons.

अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी का आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपसचिव जन अभियोग निराकरण विभाग को दिनांक 22.07.15 को प्रेषित की गई व उप शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा दिनांक 27.07.15 को प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूति मामलात विभाग को प्रेषित की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2015 से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 5061 दिनांक 15.09.2015 निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है :–

अपील के साथ सलंग्न पत्रादि के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी ने आरटीआई आवेदन पत्र मा0 The Nodal officer Chief Minister office] Right to Information Act 2005 Joint Secretary (V,S) Chief Minister office, secretriat, Jaipur में दिनांक 13.07.2015 को लगाया था। अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र को राज्य लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को उनके पत्रांक प.31(543)ते0ते0/2015 दिनांक 22.07.2015 को प्रेषित किया गया तथा उप शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर ने अपने पत्रांक प.21

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

125/15 जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर

A3/2

(77) आरपीजी/आरटीआई/2015 दिनांक 27.07.15 को अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलात विभाग जयपुर को प्रेषित किया है। खाद्य विभाग से अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नही की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अपील पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2015 का The Nodal officer Chief Minister office] Right to Information Act 2005 Joint Secretary (V,S) Chief Minister office, secretriat, Jaipur को प्रस्तुत किया जो राज्य लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प.31(543)ते0ते0/2015 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा प्रेषित किया गया जिसे उप शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर ने अपने पत्रांक प.21(77)आरपीजी/आरटीआई/2015 दिनांक 27.07.15 को अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलात विभाग जयपुर को प्रेषित कर दिया। **खाद्य विभाग से अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके कार्यालय में प्राप्त नही है।**

चूंकि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2015 लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को प्राप्त ही नही हुआ है जिसकी सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15.09.15 को भेजी जा चुकी है। जब अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को प्राप्त नही हुआ है तो इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

434-35 / 26-2-16

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर